Journal of Advances in Social Science and Humanities

JASSH 5 (11), 1105-1119 (2019) ISSN (O) 2795-9481

मध्यप्रदेश में सपेरा समुदाय का सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन

अमित कुमार[1]

सपेरा समुदाय पारंपरिक रूप से दो कामो से जुडा रहा है। सांप दिखाना और पत्थर घिसाइ इस पेशे की प्रकृति के हिसाब से ये लोग गांव गांव धूमते रहते है। ग्रामीणो का मनोरंजन करते इसके बदले अपनी आजीविका की दो मुख्य आवश्यकताओं के लिए गांव वाले इन्हें रोटी जो प्राय बासी या बची हुई होती और कपडे जो उतरन होते दे देते थे। इस तरह पूरा परिवार समूहो में घुम्मकड जीवन बिताना रहा और कही एक जगह ठिकाना बनाकर नही रहा। कालान्तर में मनोरंजन के सामाजिक रूपों में परिवर्तन आया। मनोरंजन के पारंपरिक रूपों की जगह नये टेलिविजन और सिनेमा जैसे सशक्त माध्यमों ने ले ली इन दिनों समाज में समाज में पारंपरिक कलाओं का दर्शक का वर्ग कहीं खो गया इस पवित्तन का सपेरा समुदाय पर दो तरह से असर हुआ एक तरफ वे अपना पारंपरिक पेशा छोडने पर विवश हुए और दूसरी और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबुर होना पडा।(मत्स्येन्द्रपादशतकम्,गीता प्रेस गोरखपुर) इसके परिणाम में वे एक जगह स्थायी रूप से बसने के लिए कठिन प्रयास करने लगे और तो दूसरी ओर इन्हे समाज से अस्प्रश्यता और जबरदस्त भेदभाव का सामना करना पड रहा है। इस स्थिति ने इन्हें घोर निशक्त बना दिया है और ये लोग किसी भी प्रकार के सामुदायिक संसाधनों से वंचित हैं। शीर्ष स्तर पर ये लोग राज्य की ओर से उपेक्षित है। समाज के भेदपरक दृष्टिकोण और राज्य की उपेक्षा ने मुख्यधारा में आने के सपेरा समुदाय के संघय में बडी बाधा उत्पन्न की है । विकास के सभी संकेतक को जैसे शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आजीविका में इस समुदाय की अत्यंत धुंधली सी उपस्थिति हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि यह समुदाय नागरिकता के बुनियादी अधिकारों सें भी वंचित है जबकि इस समुदाय की अनेक पीढीयां सदियों से इसी देश में रहती आयी है। किसी भी ग्रामीण जो अन्य जाति का है के लिए इसका कारण बहुत साफ है।सपेरे इधर–उधर घुमते रहे है वे एक जगह पर कभी टिक कर नही रहे है। चूंकि इन्होंने पारंपरिक रूप से जमीन के किसी छोटे से टुकडे पर भी अपना स्वामित्व कायम नही किया इसीलिए वे अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं। इन अधिकारों को प्रदान करने का आधार किसी का एक जगह स्थायी रूप से वास करना हैं। इनके रहने के तरीके में अंतर आया है। इन्होंने गांवों के बाहर छोटे–छोटे स्थायी डेरे बनाकर रहना शुरू किया है । सरकार द्वरा इनकी बसाहटों को कानूनी दर्जा नही दिया गया है क्योंकि सरकारी अधिकारियों के दिमाग में यह धारणा बैठी हुई हे कि सपेरा समुदाय के लोग कहीं स्थायी रूप से नही रहते। ये एक विडम्बना है कि एक ही जैसे एक समुदाय का नामकरण अलग–अलग किया हुआ है। इन नामों के अनुसार राज्य द्वारा इनकी श्रेणियों का निर्धारण किया गया हैं।कालबेलिया और सपेरा अनुसुचित जाति है जबकि जोगी अन्य पिछडा वर्ग में शामिल हैं। जबकि कनिपा नाथ समुदाय को किसी श्रेणी में शामिल नही किया गया है। समुदायों के नामों की भिन्नता ने सरकारी तंत्र के लिए इन्हें और उपेक्षित कर दिया है। यह तथ्य जनगणना के आंकडों से भी पूष्ट होता है। कुल मिलाकर इन समुदायों की जो स्थिति उभरी है उसके अनूसार इनके पास स्थायी रूप से रहने के लिए जमीन का अपना एक टुकडा भी नही है। (द्विवेदी हजारीप्रसाद, 2003) वे गांव के बाहर सामान्यता खुले में बसे हुए हैं जहां किसी भी तरह की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नही हैं। यहां भी इनका ठिकाना गांव के प्रभावशाली लोंगों के आश्रय पर निर्भर है। इनके पास अपने निवास स्थान का साबित करने को कोई प्रमाण नही हैं। यहां तक कि राशन कार्ड तक नही है। इसके बिना सरकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाडी, मीड–डे–मील अथवा किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा या पेंशन आदि का लाभ इन्हें नही मिल पा रहा है। इस तरह से ये बुनियादी नागरिकों के हकों ओर अधिकारों से वंचित हैं। मतदाता सूचि में दर्ज नही होने के कारण ये मतदान और दुसरे राजनीतिक अधिकारों के दायरे से बाहर हैं। आर्थिक व सामाजिक अधिकार भी इन्हें नही मिल पाते हैं । उदाहरण के लिए के महात्मा गांधी

[1] एम.फिल. समाजकार्य, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, महू, जिला–इन्दौर म.प्र.

ग्रमीण रोजगार ग्यारंटी योजना मनरेगा में इनके जॉब कार्ड ही नही बने । यहां तक की उन्हें ऐसी किसी योजना की जानकारी नही है। जहां मनरेगा का काम चल रहा है वहां भी पंचायतों ने इन्हें उससे बाहर ही रखा है। इन समुदायों में आज की पीढी के बच्चे भी स्कूली नही जा रहे है। स्कूल इनकी बसाहटों से कफी दूर हैं । इनकी बस्तियों में बिजली पानी का कोई इंतजाम नही हे।शायद ही किसी कालबेलिया ,सपेरा परिवार ने किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त किया हो। सपेरा समुदाय की महिलाएं तथा बच्चे अभी भी गांव में भीख मांगनें जाते है। कई बार वे बेगार करने के लिए भी बाध्य किये जाते हैं। इन समुदायों से भेदभाव और अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता हैं। समुदाय सांप दिखाने जैसा अपना पारंपरिक पेशा छोड़ चुका है लेकिन मजदूरी जैसे किसी नये पेशे को अपनाने में भारी मुश्किलों से जूझ रहा है ।

अध्ययन का उद्देश्य–

सपेरा समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उनके जीवन के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध प्राथमिक एवं द्वितियक तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक तथ्यों को समूह चर्चा एवं अवलोकन पद्धति से संकलित किया गया है। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के सपेरे समुदाय के बीच जाकर प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। मध्यप्रदेश के शाजापुर, राजगढ़, आगर, उज्जैन, देवास, इन्दौर आदि जिलों में सपेरा समुदाय की बस्तियों में सम्पर्क कर समूह चर्चा एवं अवलोकन किया गया। द्वितियक तथ्यों हेतु शोध में जनगणना 2011 के आँकड़ो की सहायता से सपेरा समुदाय के वर्तमान परिपेक्ष्य का अध्ययन किया गया है। साथ ही शोधपत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया गया।

मध्य प्रदेश में सपेरा समुदाय की जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में सपेरों की कुल जनसंख्या 60,415 है जिनमें से 90 प्रतिशत सपेरा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है, तथा शेष 10 प्रतिशत शहरी क्षत्रों में निवास करते है। मध्यप्रदेश के लगभग जिले में सपेरों का अस्तित्व है, प्रदेश के पश्चिमी भाग में सपेरों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। सपेरों की अधिकतम कुल जनसंख्या 11 प्रतिशत भाग मन्दसौर जिले में तथा न्यूनतम बैतूल जिले में है।

मध्यप्रदेश में सपेरा समुदाय की जनसंख्या

प्रकार	पुरूष (ग्रामीण)	महिला (ग्रामीण)	कुल संख्या
ग्रामीण	29,630	25,665	55,295
शहरी	5,284	3,834	9,118
कुल	34,914	29,499	64,413

स्त्रोत – जनगणना मध्यप्रदेश 2011

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में पायी जाने वाली सपेरा बस्तियों को मानचित्र द्वारा समझाने का प्रयास किया गया

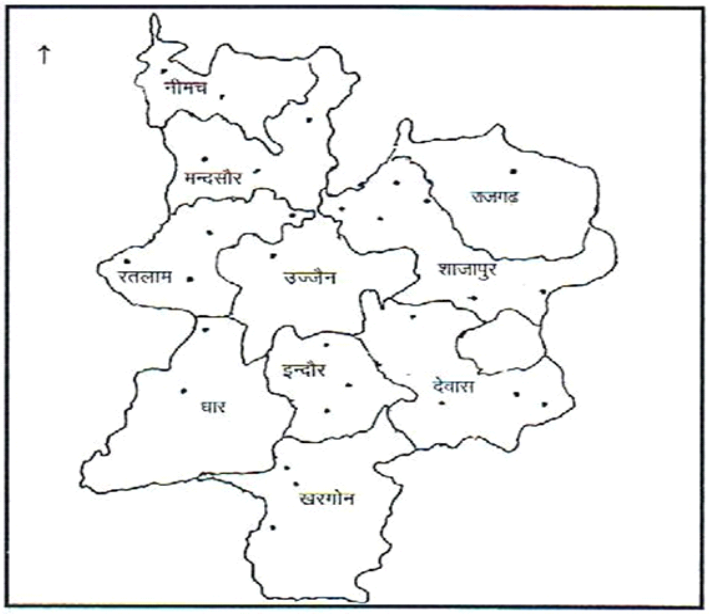

सपेरा समुदाय की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि

भारतीय धर्म, कला और लोक–संस्कृति में सांपो को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक की 'कोब्रा'' अर्थात नाग भारतीय संस्कृति के प्रतीक और पर्याय माने गये है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में सांपों से जुड़े अनेकों प्रसंग भरे पड़े है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों द्वारा सर्पराज वासुकी का रस्सी के रूप में प्रयोग करना, शेष शैय्या पर विश्राम करते भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण द्वारा कालिया नाग का मर्दन, जन्मेजय का नाग यज्ञ, शिव द्वारा आभूषण के रूप में नागों का प्रयोग, कुण्डली योग में नागों का स्वरूप, अजन्ता–ऐलोरा की गुफाओं में सॉची के स्तूप आदि में नागों का अंकन किया गया है।

भारत में बड़े पैमाने पर लोागें द्वारा वन्य संसाधनों का उपयोग किया जाता है। हांलाकि यहां की 70 प्रति0शत जनसंख्या का मुख्य रोजगार कृषि है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग सीधे–सीधे वन्य संसाधनों पर निर्भर है। बहेलिया, बधिया भील, पारदी, और सपेरा कुछ ऐसे समुदाय है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए पूरी तरह से वनों, वन्य–उत्पादों इत्यादी पर नर्भर है, परन्तु हमारे पास इससे संबंधित व्यापार, खपत और कुल आपूर्ति का अनुमान बता सकने वालो कोई आंकड़ा आज भी उपलब्ध नहीं है। इस रिपोर्ट में हम यह जानने का प्रयास करेंगें कि एक परम्परागत समुदाय यानि कालबेलिया अथवा सपेरा की आजीविका को वन्यजीव संरक्षण कानून किस तरह से प्रभावित कर रहा है।

आज भी सपेरा समुदाय के लोग सांपों की तलाश में रहते हैं, सफेद या भगवा रंग का लम्बा सा चोला, कानों में मोटे कुण्डल, लम्बी दाढ़ी, हाथ की अंगुलियों में ढेर सारी अंगूठियॉ, हाथ में बीन और कन्धे पर अक्सर कमर से नीचे तक लटकता बड़ा–सा झोला, मूलतः सपेरे सही वेशभूषा तो धारण किये रहते है। दुनियाभर में सपेरों को बड़े आदर व सम्मान से देखा जाता है, अपनी बीन की सुमधुर लहरी पर नाग जैसे जीव को नचाने में इन्हें महारथ जो हांसिल है। सपेरों की इस अजूबी कला से प्रभावित सांपों को पकड़ने खतरनाक से खतरनाक सांप को अपने वश में करने के कारण भारतीय समाज में सपेरों की बड़ी ख्याति है। प्राचीन राजे–राजवाड़ों के समय से ही सपेरे राजदरबारों में दर्शकों का मनोरंजन करने, सर्पदंश से पीड़ित लोगेां का ईलाज करने का काम करते आ रहे है। यह क्रम आज भी जारी है, आज भी घरों, दुकानों और गोदामों में सांप निकलने पर उन्हें पकड़ने के लिये सपेरे को ही बुलाया जाता है।सपेरा समुदाय के सदस्य परम्परागत तौर पर संपों को पकड़ने और उनका प्रदर्शन करते आ रहे है। यह काम उनकी जातिगत पहचान का सूचक बन चुका है। (पाण्डेय राजबली, हिन्दू धर्मकोश, 2001) प्राचीन समय में किसी जाति को उसके धन्धे से जोड़कर देखा जाता था और यही कारण है कि

सपेरों की यह कला आज भी जीवित बची हुई है। सपेरें और सांप का संबंध इतना अंतरंग हो चला है यह इससे पता चलता है कि सपेरों क जीवन के हर क्षेत्र पर सांपो ने अपनी छाप छोड़ी हुई है।

शिक्षा

मध्यप्रदेश के सपेरों में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। सर्वेक्षित क्षेत्र के सपेरा सदस्यों में 10 से 18 साल तक के 75 प्रतिशत से अधिक बच्चे अशिक्षित है। बड़ी संख्या में पुरूष और महिलाएँ भी अशिक्षित है। केवल कुछ ही क्षेत्रों जैसे शाजापुर जिले का पोलायकला ग्राम जिसमें एक वकील है तथा 7 से 8 युवा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे है। जनगणना 2011 के अनुसार शाजापुर में सपेरों में साक्षरता प्रतिशत 10.24 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत 3 से भी कम है। (आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचलनालय, जनगणना विभाग म.प्र. भोपाल)

सपेरों और सांप की प्रगाढ़ता

सपेरों और सांप का संबंध चोली और दामन–सा है, एक के बगैर दूसरा अधूरा लगता है इनके संबंध में ढेरों किस्से–कहानियॉ प्रचलित है। धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों के अतिरिक्त आमजन को सांपों से परिचित करवाने में सपेरों की भूमिका अविस्मरणीय कही जा सकती है सपेरा समुदाय के लोग पम्परागत रूप से शहरी और ग्रामीण इलाकों में जन सामान्य को सांपों का प्रदर्शन दिखाकर अपनी आजीविका चलाते आ रहे है। यहां में सपेरे अपने प्रदर्शन में सांपों की कौन–कौन सी प्रजातियों को शामिल करते है? कितनी संख्या में वे सांपों को पकड़कर रखते है ? इन सर्व प्रजातियों का कोई विशेष धार्मिक–पौराणिक महत्व या संबंध है अथवा नहीं ? कौन सी सर्प प्रजाति में ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता है? किस–किस प्रजाति के सांप सरलता से उपलब्ध हो सकते है? क्या सपेरों के पास सांपों की विधिवत देखभाल करने, उन्हें पालन–पोसने, खिलाने–पिलाने आदि का ज्ञान है? सपेरों द्वारा सांपों का प्रदर्शन करने, उनके विषदंत और विषग्रंथियों को अनेकानेक प्रश्नों के बारे में हमें ठीक–ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान हमारी टीम ने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने और जानकारियों को एकत्रित करने का प्रयास किया, साथ ही मध्यप्रदेश में पायी जाने वाली सर्प प्रजातियों के संदर्भ में अभी तक हुए शोध कार्यो की पड़ताल भी की गयी।अपनी जैव–भौगोलिक स्थिति व वैविध्यपूर्ण जलवायु के चलते मध्यप्रदेश जैविक सम्पदाओं से समृद्ध है। प्रदेश में अब तक 5 हजार प्रकार की वनस्पतियों, 500 प्रकार के पक्षियों और 180 प्रजातियों की मछलियों आदि की पहचान की जा चुकी है। यहां की जलवायु एवं वातावरणीय परिस्थितियॉ सांपों के लिहाज से बहेद अनुकूल है, यही कारण है कि यहां सांप अच्छी संख्या में मिलते है। भारतीय प्रणी सर्वेक्षण संस्थान की जबलपुर स्थित केन्द्रीय आंचलिक शाखा द्वारा मध्यप्रदेश में सरीसृपों पर शोध किया गया है, परन्तु यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होकर पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त कुछ लेखकों द्वारा मध्यप्रदेश के अलग–अलग क्षेत्रों में मिलने वाले सांपों की सूचियां प्रकाशित हुई हैं, जिनमें गजबे (2003–2004), इंगले (2001) ए,बी, 2004, 2008 पाश (2000), उपाध्याय (2004) आदि शामिल है। चन्द्र एवं गजबे (2005) द्वारा मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले सरीसृपों एवं उभ्यजीवियों की सूची प्रकाशित हुई है जिसमें 39 प्रजातिके सांपो का उल्लेख है। मध्यप्रदेश में सांपो पर आधारित विस्तृत सर्वेक्षण की दरकार है क्योंकि राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में मिलने वाली सर्प प्रजातियों में से कुछ के यहां मौजूद होने की पर्याप्त संभावनाएं है। उज्जैन स्थित गैर

सरकारी संस्थान सर्प अनुसंधान संगठन द्वारा मालवाचंल में पाए जाने वाले 34 प्रजातियों के सांपों की सूची प्रस्तुत की गई है, साथ ही मालवांचल में सांपों की कम होती जा रही जनसंख्या पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है, जिसमें उन तथ्यों को उजागर किया गया है जो सांपों की कम हो रही जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। संगठन द्वारा उज्जैन में 'सरीसृप संरक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना भी की गई है जो सरीसृपों और उनसे जुड़े विविध पक्षों पर जानकारी एकत्रित करने हेतु एक प्रमुख केन्द्र का आकार ग्रहण कर चुका है। संगठन प्रदेश भर में स्कूली छात्र–छात्राओं शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों, किसानों, जनसामान्य आदि को स्लाइड शो, पोस्टर एवं चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से सर्प संबंधी जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाने में संलग्न है।

अध्ययन के दौरान जब यह पता करने की कोशिश की गई कि सपेरे मध्यप्रदेश में मिलने वाली सांपों की कितनी प्रजातियों की पहचान कर सकते है? तो पता चला कि वे आमतौर पर दिखाई देने वाले सांपों की कृछ प्रजातियों को ही पहचानते हैं, खासकर उन्हीं को, जिन्हें वे अपने प्रदर्शन में शामिल करते है और अपने पास रखते आए है। सपेरों को सांप संबंधी वैज्ञानिक जानकारियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। यहां तक कि अन्य समाजों के पढ़े–लिखे सांप पकड़ने वाले युवाओं में भी वैज्ञानिक जानकारियों का अभाव देखा गया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अतंर्गत मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा राज्य में तीन व्यक्तियों/संस्थानों को सांप पकड़ने की अनुमति प्रदान की गई है जिसमें मोहम्मद सलीम, (भोपाल), मनीष कुलश्रेष्ठ (जबलपुर) एवं उज्जैन स्थित गैर सरकारी संस्था सर्प अनुसंधान संगठन शामिल है।

अध्ययन के दौरान शोधकर्ता के द्वारा यह जानने की कोशिश की गई कि सपेरे विभिन्न प्रजातियों के सांपो को कहां और किस प्रकार रखते हैं, इन्हें क्या खिलाते–पिलाते है तथा मौसम के अनुसार सांपों की शारीरिक जरूरतों को वे किसी प्रकार पूरा करते हैं, यह बात सामने आई कि सपेरे मुख्यतः सांपों को बांस से बनी पिटारियों में रखते हैं, इन पिटारियों को वे गोबर अथवा गीली मिट्टी से लीप देते है या लेप चढ़ा दते हैं। सांप के आकर के हिाब से पिटारी छोटी, मझली, बड़ी अथवा बहुत बड़ी हो सकती है। पिटारी में सांप का जीवन कष्टदायक होता है, वह अपने शरीर को पूरी तरह फैला भी नहीं सकता, कई बार एक ही पिटारी में दो–तीन सांप रख दिये जाते है। इन पिटारियों की नियमित सफाई नहीं की जाती है। ठंडे खून वाला प्रणाी होने के नाते एक सांप का जीवन पूरी तरह से अपने आस–पास के वातावरण की दया पर निर्भर करता है, इस वैज्ञानिक तथ्य से अधिकांश सपेरे अनभिज्ञ पाए गए। ठंड के दिनों में तापमान कम होने पर सांप धूप सेंककर अपने लिए आवश्यक तापमान की पूर्ति करते हैं, किन्तु सपेरे के पास पिटारी में बंद सांप को यह सुविधा नहीं मिल पाती जिसे अधिकांश सांप असमय काल के गर्त में समा जाते हैं। हॉलाकि कुछ सपेरों में यह ज्ञान पाया गया और वे ठंड के दिनों में प्रतिदिन सांपों को 15 मिनट से 45 मिनट तक धूप में रखते हैं। अधिकांश सपेरों के पास पिटारी में रखे गए सांपों की कंचुली ठीक तरह से उतरी हुई नहीं पाई गई। सांप के शरीर पर यहां – वहां केंचुली के टुकड़े लगे हुए पाए गए, साथ ही सांप की ऑखों पर भी कंचुली की दो–दो, तीन–तीन परतें पाई गई। पिटारी में कोई खुरदरी जगह आदि नहीं होती जिसकी सहायता से सांप ठीक–ठीक ढंग से कंचुली उतार सकें। अध्ययन क्षेत्र के नगर तथा ग्रामों के स्थित धार्मिक मंदिरों के आस–पास बैठने वाले सपेरों के सांपों की जांच करने पर अधिकांश सांपों के पिटारों में दूध, कुमकुम, सिन्दूर, चॉवल आदि पाया गया जिससे अधिकांश सांप

संक्रमित पाए गए। सपेरों से जब हमारी टीम ने इस बारे में बातचीत की कि वे अपने पास रखे सांपों को क्या खिलाते हैं और किस प्रकार खिलातें है तो उन्होंने बताया कि वे मांस के छोटे–छोटे टुकड़ों को किसी छड़ीनुमा लकड़ी की सहायता से सांप के मुंह में बलपूर्वक घुसेड़ देते है। साथ ही कुछ सपेरे अण्डे, दूध और आटे का घोल बनाकर किसी खोख्ली, पतली हड्डी की सहायता से सांप को पिला देते हैं और कुछ देर तक सांप के मुंह को हाथों से दबाकर रखते हैं ताकि वह खिलाए गए भोजन को उगले नहीं। खान–खान के इस काम में सपेरे के बच्चे एवं महिलाएं भी सहायता करते है। बारिश के दिनों में सपेरे मेंढ़क और टोड को पकड़कर सांप की पिटारी में डाल देते है। अधिकांश सपेरों ने यह बताया कि वे आमतौर पर सप्ताह में एक बार सांपों को भोजन देते हैं, हॉलाकि सांपों का परीक्षण करने के दौरान अधिकांश सांप भूखे मिले। सपेरे ठंड के दिनों में भी सांपों को मांस आदि बलपूर्वक खिला देते हैं, परन्तु तापमान की कमी के चलते सांपों की चयापचय दर इन दिनों धीमी हो जाती है, पाचक रस काम करना बंद कर देते है जिससे भोजन पूरी तरह हजम नहीं हो पाता और अध पचे भोजनकी वजह से सांप की मौत हो जाती है।

सपेरों से सांप पकड़ने के विशेष समय अथवा ऋतु के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हांलाकि कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता। जब भी, जहां भी कोई सांप दिखाई देता है, खासकर यात्रा करते वक्त तो वे उसे पकड़ लेते है। वे यह भी बताते हैं कि नागपंचमी के दौरान अर्थात बारिश के महीनों यथा जून से सितम्बर तक सांपों को पकड़ने का आर्दश समय होता है, जब उन्हें आसानी से यहां–वहां घूमते देखा जा सकता है। सपेरा द्वारा आमतौर पर पकड़े जाने वाले सांपों में नाग, धामन, दो मुंहा, माटी का सांप, दौड़ाक सांप, आदि शामिल है।

किन–किन क्षेत्रों से सपेरे अलग–अलग प्रजातियों के सांपों को पकड़ते हैं, इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वनभूमि, कृषि क्षेत्र, पड़त या चरनोई भूमि, नदी, तालाब, नाले, झरनों के आस–पास, रहवासी क्षेत्रों से वे सांप पकड़ते है तथा दूसरे राज्यों के सपेरों से भी सांप खरीदे जाते है।

सांपों की शारीरिक दशा जानने के लिए उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया जिस हेतु सांपों का बाहरी रंग–रूप, सजगता या चौकन्नापन, सांप के मुंह और नाक में मौजूदा संक्रमण, सांप का वजन, सांप के दांत, कंचुली की स्थिति को आधार बनाया गया। सपेरे के पास बंदीगृह में सांप द्वारा गुजारे गए दिनों को भी अभिलेखित किया गया।

सपेरों के पास स्वस्थ और अस्वस्थ सांपों के पाये जाने का कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि एक महीने अथवा उससे अधिक समय से पिटारी में रखे अधिकांश सांप अस्वस्थ दशा में पाये गये जबकि ताजा पकड़े गये सांप स्वस्थ पाये गये। इसका तात्पर्य है कि सपेरे सांपों के खान–पान, रख–रखाव में दक्ष नहीं है।

सांपो की स्वास्थ्य दशा का विवरण

सूचक	स्वस्थ	अस्वस्थ
त्वचा का रंग–रूप	चमकदार	भद्दा,सलवटेंदार त्वचा
वजन/मोटाई	भरा हुआ शरीर अर्थात पसलियों को पूरी चौड़ाई में ढ़ंकती त्वचा	रीढ़ की हड्डी का उभरा होना
दॉत	विषदंत सहित, अन्य दॉतअन्दर की ओर मुड़े, नुकीले	विषदंत रहित, उखेड हुए अथवा घीसे हुए दॉत
मुंह का संक्रमण	मुंह सूखा और साफ	दॉतों और मसूड़ों से बहता खून, मवाद, मुंह से निकलतीश्लेष्मा
थूथन की दशा	चिकना, चोंटरहित वास्तविक अवस्था में	खुरदरा, लगातार रगड़ने से जख्मी
पूंछ की स्थिति	मोटी, स्वस्थ, चमकदार	सिकुड़ी हुई, सूखी, झुर्रीदार
केंचुली की दशा	चमकदार त्वचार, साफ ऑखे	भद्दा, गहरी धंसी ऑखे और ऑखों पर चढ़ी पुरानी त्वचा की टोपियॉ/परतें
संवेदना	तुरंत प्रतिक्रियाशील, चुस्त सजीव, चौकन्ना	सुस्त, धीमी प्रतिक्रिया निर्जिव समान

सपेरों द्वारा सांपों की विष ग्रंथी और विष दंत निकालने के तरीके के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि यह कार्य अवैज्ञानिक तरीकों से बहेद क्रूर व निर्मम ढंग से सुईनुमा उपकरण की सहायता से किया जाता है। सांप को पकड़कर लकड़ी की सहायता से उसका मुंह दबाया जाता है और फिर सुई की सहायता से उपरी जबड़ों में मौजूद विषदंतों को तोड़ा जाता है। साथ ही उपरी जबडे के पीछे वाले हिस्से में मौजूद विष ग्रंथि को सुए के नुकीले वाले हिस्से को मुंह में घुसाकर उसकी सहायता से विष ग्रंथि को बाहर खींच लिया जाता है। इस खौफनाक कृत्य में सांप को होने वाले दर्द और असहनीय पीड़ा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है! इस दौरान सांप के मुंह से खून भी बहने लगता है और उसके मुंह का आंतरिक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। विषदंत उखाडे गये नागों का परीक्षण करने पर लगभग 70 प्रतिशत सांपों के मुंह में घाव देखे गये और वे संक्रमण से पीडित पाये गये। नागराज की विष ग्रंथियों व विषदंत नहीं उखाडे जाते हैं, कुशल सपेरे मजबूत व महीने धागे से इनके मुंह को सील देते है। पूछताछ में यह भी पता चला कि सारे सपेरे इस काम को नहीं कर सकते, वे सांप को पकड़कर अधिक उम्र वाले किसी अनुभवी साथी की मदद से सांप के दांत व विषग्रथियां निकलवाते है।

वर्ष 2013–14 में सर्वेक्षित क्षेत्र में सपेरों द्वारा खेत–खलिहानों और मानवीय आवासों से पकडे गये सांपों की जानकारी

क्र.	सांप का नाम	संख्या
1	नग	299
2	धामन	219
3	दो मुंहा सांप	14
4	माटी का सांप	20
5	रसल वाईपर (दीवड)	47
6	करैत	40
7	दौड़ाक सांप	27

सपेरों का औषधीय संबंधी ज्ञान

सपेरों से सांप की प्रगाढ़ता तो सर्वविदित है, किन्तु एक सपेरे की चिकित्सक वाली भूमिका के बार में कम लोग जानते है। बचपन में हम देखा करते थे कि किस प्रकार से एक सपेरा अपना मजमा लगाता था। अपना खास शो प्रारम्भ करने से पूर्व वह अपनी बड़ी–बडी पोटलियों में से कई छोटी डिब्बियां, शीशियां, पेड़ की सूखी हुए छालें, जानवरों के छोटे अंग, चमत्कारी पत्थर आदि को बखूबी सजाते थे। पर्याप्त जनसमूह के इकठ्ठा हो जाने तथा शो के अंत में वह इन आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों को सामान्य तथा विशिष्ट बीमारियों के उपचार में उपयोगी बताकर बेचा करते थे। इस महत्वपूर्ण कार्य को कई सपेरे परम्परागत रूप में करते चले आ रहे है।

सपेरे अपनी चिकित्सा में जंगली जड़ी–बूटियों का सर्वाधिक उपयोग करते आए हैं। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि मध्यप्रदेश में सपेरा समुदाय के लोग कौन–कौन से पेड–पौधों का कितना–कितना उपयोग करते हैं तथा इस उपयोग से इन वनस्पतियों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं? सपेरा समुदाय के कितने सदस्य इस प्रकार के क्रिया–कलापों में संलग्न हैं? इस बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती।वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं है, अपनी पहूंच नहीं बना सकी हैं या फिर इन इलाकों में रहने वाले गरीब तब को के लिए यह इलाज काफी मंहगा सिद्ध हुआ हैं। वहां सपेरों के इस परम्परागत विशिष्ट कौशल का बखूबी उपयोग किया जा सकता हैं। सर्वे बताते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों के प्रति आमजन का रूझान कॉफी बढ़ गया है।अभी तक सपेरों के इस विशिष्ट ज्ञान व स्थिति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि उनकी आजीविका के साधनों में इसे महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। शोधकर्ता नें सर्वेक्षण के दौरान इस संबंध में जानकारियां जुटाने का प्रयास किया है। यह बात मुख्य रूप से सामने आई है कि अधिकांश (लगभग 80 प्रतिशत) सपरों ने ये काम करना बंद कर दिया है। कारण यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी अब प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या बढ़ने लगी है जिसकी वजह से इस धन्धे की पूछ–परख कम हो गई है, साथ ही कई जड़ी–बूटियां भी अब समय के साथ–साथ सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाती है। सपेरे किसी बीमारी के इलाज में जंगल से उपलब्ध होने वाली जड़ी–बूटियों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, अत्तार की दुकान पर मिलने वाली बूटियों को बहुत कम उपयोग में लाते है।

सपेरों के जड़ी–बूटियों के ज्ञान संबंधी जानकरी जुटाने में बड़ी मशक्कत करना पड़ी। हमने इस काम में लगे सपेरों से इलाज में उपयोगी पौधों की सूची बनवाने पर जोर डाला, बमुश्किल जानकारियॉ मुहैया कराई गई, जिसके आधार पर विभिन्न जिलों में से कुल मिलाकर 73 जड़ी–बूटियों की सूची तैयार हुई, जिनमें से 26 जड़ी–बूटियों की वैज्ञानिक ढंग से पहचान की जा चुकी है, कुछ पेड़ पौधों के नमूने भी संग्रहित किए गए है।

सपेरों द्वारा विषैले जीव–जन्तुओं के उपचार हेतु लगभग 10 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है सपेरों द्वारा सर्पदंश के उपचार में जिन वानस्पतिक औषधियों का उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में प्रयोग की दृष्टि से उन्हें तीन भागों में रखा जा सकता है –

1. **बाह्य प्रयोग की वनस्पतियां**
2. **अन्तः प्रयोग की वनस्पतियां**
3. **विष को ही विशेष रूप से नष्ट करने वाली वनस्पतियां**

पहले विभाग में गुणों और प्रभावों की दृष्टि से निम्न प्रकार की वनस्पतियां आती है–

1.	कोथ प्रशामक	तुलसी
2.	उपशोषण	झिण्टी
3.	स्तम्भक	बबूल सप्तपर्णी
4.	वेदनास्थापक	अशोक
5.	शोणितोत्क्लेशक	सरसों
6.	विषैले पौधे	अतीस, कनेर

दूसरे विभाग में

1.	रेचक तथा भेदक	अकोल, दन्ती
2.	वामक	अपामार्ग, आक
3.	स्तन्यजनक	एउण्ड, कपास
4.	मूत्रल	वच, पुनर्नवा
5.	कफनिस्सारक	बांस
6.	शिरोविरेचक	कलिहारी, मिरच
7.	सुगन्धोत्तेजक	लहसुन, गजगंध
8.	दीपक पाचक	वच, अजमोदा
9.	बल्य, पौष्टिक	नीम, महानीम
10.	शामक	पदमाक, धतूरा
11.	अवसादक	अफीम
12.	विकाशी	नाग दमनी, हींग
13.	रसायन	दारू, हल्दी, भारंगी

तीसरे प्रकार की वनस्पतियों में गिलोय, ईश्वरमूल, सर्पगंधा आदि शामिल है। सपेरे बताते है कि वामक, रेचक, मूत्रल औषधियों और नस्य का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि शरीर से स्राव

निकलने लगे और उसके साथ–साथ शरीर में गया सांप का विष भी निकल जाए। जीवन रक्षा के लिए ह्रदयोत्तेजक और बल संवर्धक औषधियां भी दी जाती हैं। चूंकि सांप काटे रोगी के चेतनाशून्य होने की सर्वाधिक संभावना रहती है अतः रोगी को चेतना में लाकर उसे जगाए रखने के लिए कई प्रकार के अंजनों, काजल अथवा तीक्षण नस्वारों का प्रयोग भी किया जाता है।

प्रयुक्त की जाने वाली औषधिया

मालवांचल के जैव क्षेत्रों में सपेरों का औषधीय पौधों संबंधी ज्ञान का स्तर लगभग एक समान पाया गया। मुख्यतः यह माना जाता है कि सपेरे सर्पदंश का बेहतर उपचार करना जानते हैं, हांलाकि यह बात कुछ हद तक ठीक ही है, किन्तु इसके अलावा भी सपेरे कई बीमारियों का इलाज कर लेते है जिनमें सामान्यतः सर्दी–जुकाम, बुखार, हाथ पैर, सिर में दर्द, पेट, दर्द, जोड़ों में दर्द, त्वचा संबंधी रोग, महिलाओं की यौन संबंधी परेशानियां, पीलिया आदि शामिल है। शाजापुर जिले के सतगांव के बद्रीनाथ तथा शुजालपुर के गुलाबनाथ आदि सपेरे मुख्यतः सांप के काम के साथ–साथ इसी काम में प्रमुखता से लगे हुए हैं। सपेरों से दवाई तैयार करने के संबंध में बात करने पर उन्होंने बताया कि वे अधिकांश जड़ी–बूटियों को कूट–पीटकर उसका चूर्ण तैयार कर लेते हैं जिसमें बीमारी के हिसाब में अलग– अलग दवाईयां मिलाई जाती है। इस चूर्ण को पानी या दूध के साथ रोगी को खिलाया–पिलाया जाता है। कुछ जडी बूटी को पानी में उबालकर उसका सत्व रोगी को पिलाया जाता है। त्वचा संबंधी रोगों, धाव हो जाने आदि के लिए जडी बूटियों को तेल में गर्म कर या पकाकर उसका लेप लगाया जाता है। सांप काटनेके उपचार हेतु दस से भी अधिक जड़ी बूटियॉ उपयोग में लाई जाती हैं जिसमें रोगी को घाव/सूजन पर लगाना, उल्टी करवाना आदि शामिल हैं। सांप काटे के रोगी को पहले उल्टी करवाने वाली जडी बूटियां पिलाते है और उसे लगातार उल्टियां करवाते हैं, इस हेतु कड़वे स्वाद वाली जड़ी जैसे नीम के पत्ते आदि जो आसानी से उपलब्ध हो सकें, का उपयोग मुख्यतः किया जाता है साथ ही, सांप द्वारा काटे गए स्थान के उपर व नीचे मजबूत बंध बांधे जाते हैं और उस पर चीरा भी लगाया जाता हैं, इस प्रकार बने गहरे घाव में विभिन्न पौधों से तैयार किया गया लेप बांधा जाता है जो रक्त स्राव को बढ़ाने में मदद करता है ताकि खून के साथ–साथ सांप का जहर भी बाहर निकल सकें। इन दोनों की तरीकों में सांप के जहर को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। सांप काटे का इलाज करने वाले सपेरे बताते है कि प्रतिवर्ष उनके पास सर्पदंश के लगभग 100 से अधिक प्रकरण आते हैं जिसमें से अधिकांश को वे ठीक कर देते है। अधिकांश प्रकरण बरसात के दिनों में होते है, जब, कृषि कार्य में लगे किसान मजदूर व सांप तीनों ही सक्रिय होते है।

7. सपेरे और वन्यजीव संरक्षण कानून

सपेरों द्वारा सापों को पकड़ने और दिखाने का परम्परागत व्यवसाय भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक बंधनों में जकड़ा हुआ था, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह भारत के दो कानूनों से टकराव की मुद्रा में है। 1. भारतीय वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम 1972, (संशोधित 2002)एवं (2003) 2. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, (संशोधित 1982)

भारतीय वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम 1972, (संशोधित 2002–2003)

भारत में वन्य जीवों और पक्षियों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया बाद में वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े कई मुद्दो को शामिल कर इसे संशोधित किया गया। वन्य जीवों के व्यवसायिक उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कई प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय, वर्गीकरण एवं सूचीकरण किया गया। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत सांपों की सभी प्रजातियों को सुरक्षित घोषित किया गया है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अनुज्ञा के बगैर किसी भी सांप को एकत्रित करना, रखना एवं परिवहन करना प्रतिबंधित है। वन्य जीव अधिनियम में वन्य जीवों को अलग – अलग स्तरों पर अलग–अलग अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है, अनुसूची एक में अत्यंत संरक्षित प्रजातियों को शामिल किया गया है। (गोरखनाथ और उनका युग नई दुनिया, 2010)

अनुसूची एक और दो में उल्लेखित सांपों को पकड़ने अथवा प्रदर्शित करने पर छः साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस नियम का अनुसूचिकरण मुख्यतः जीवीत सांपों अथवा उनकी खाल के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किया गया है। मुख्य रूप से वन विभाग इन नियमों को लागू करने वाली सरकारी एजेन्सी है।इन कानूनों में पम्परागत रूप से अपनी आजीविका के लिए वन्य जीवों पर निर्भर समुदायों को कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, अतः सपेरों और कानून लागू करने वाले संस्थानों के मध्य कुछ मतभेद है। नियमों के मुताबिक एक सपेरे को सांप पकड़ने, उसे अपने पास रखने और प्रदर्शित करने के लिए संबंधित राज्य के मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। वह अनुसूची एक और दो के सांपों को छोड़कर कुछ प्रजातियों के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, (संशोधित 1982)

यह अधिनियम जानवरों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने अथवा सताने से बचाने के लिए बनाया गया है। सांपों के विषदन्त उखाड़ना, सांपों के दांतां को घीसना, सांपों को छोटी–छोटी पिटारियों में अव्यवस्थित ढंग से रखना, सांपों को भूखा मारना अथवा बलपूर्वक सांप को खिलाने–पिलाने में होने वाला दर्द, सांपों का प्रदर्शन और उन्हें कैद में रखना, ये वे सारे अपराध हैं, जो एक सपेरा करता है, और जो इस कानून के मुताबिक दण्डनीय है। पशुओं के कल्याण एवं रखरखाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों में पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। इस अधिनियम को लागू करने वाली नियामक संस्था पुलिस विभाग है। इस अधिनियम में धार्मिक आधारों पर कुछ जानवरों को मारने अथवा प्रयोग हेतु कुछ छूट प्रदान की गई है, परन्तु परम्परागत रूप से जंगली जानवरों को रखने वाले समुदाय के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि सपेरे सांपों को प्रदर्शन हेतु रखते हैं, अतः इस अधिनियम के अनुसार उसे पंजीयन कराना अनिवार्य है। हालांकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में ही पारित कर दिया गया था, परन्तु भारत भर में इसे अभी तक एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सका है। (डॉ. नरेन्द्रनाथ मेहरोत्रा, डॉ. हरिप्रकाश शर्मा, 2005) हमारे देश में कई समुदाय के लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवों के उपयोग पर आधारित है और अतः ऐसे मामलों में इस नियम को लागू करना अत्यन्त कठिन काम है। वन्य जीवों का प्रदर्शनकरने वाले समुदायों पर भारत के अलग–अलग राज्यों में कहीं कम, तो कहीं ज्यादा दबाव देखा गया है। यह दबाव वन विभाग अथवा पुलिस विभाग द्वारा कम और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकताओं द्वारा अधिक डाला जाता है। कानून के दायरे में आने वाले समुदायों में दरवेश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है जो भालूओं और बन्दरों आदि का प्रर्दशन करते थे सच कहा जाये तो सपेरों को अभी तक ऐसी कठोर कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा है मध्य भारत, उत्तर भारत आदि के कस्बाई इलाकों में सपेरों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। केवल कुछ बड़े शहरों में ही इन्हें प्रताडित किया गया है, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में सपेरे अभी भी अपना परम्परागत व्यवसाय जारी रखे हुऐ है। हालांकि सांपों का धार्मिक–पौराणिक रहस्य–रोमांच कम होने से सपेरों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है। दक्षिण भारत में पुणे और चेन्नई में स्नेक पार्क की स्थापना होने तथा सांप सम्बन्धी शोध कार्यो में बढ़ावा होने आदि वजहें के चलते आमजन सांपों के बारे में अधिक जागरूक है, और वहां सपेरों को कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता

है, मध्यप्रदेश के सपेरे अभी तक ऐसी कार्यवाही से बचे हुए हैं। (रमेश बेदी, सांपों का संसार, किताब घर, नई दिल्ली, 1991)

वन विभाग का सांपों और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सम्बन्धी ज्ञान

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिये मुख्य रूप से वन विभाग की प्रमुख भूमिका है। परन्तु इस अध्ययन में वन विभाग, वन क्षेत्ररक्षकों, वनपाल आदि से साक्षात्कार के दौरान पता चला कि वे अधिनियम की विविध धाराओं से अनभिज्ञ है। केवल कुछ त्यौहारों के अवसर पर ही वे सपेरों को पकड़ने के लिये सक्रिय होते हैं। वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सांप पकड़ने सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है अतः वे स्वयं सांपों से डरते है।.(ए.बी. बालसुब्रमणियम एवं वैद्य एम.राधिका, 1991)

यह देखा गया है कि आमजन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बजाय जीव अधिकार के मुद्दे पर अधिक सजग और सर्तक है, और वे सांपों और अन्य सरिसृपों के दुर्व्यवहार सम्बन्धी मामलों में सपेरों को धमकाते है। आमतौर पर वन विभाग इन सबके प्रति उदासीन रवैया अपनाता है और केवल कुछ खास पर्यटन स्थलों और त्यौहारों जैसे नागपंचमी और शिवरात्रि आदि पर सपरों के प्रति सख्ती बरती जाती है। सपेरें से बातचीत में एक खास बात पता चली कि वन विभाग के अधिकारियों अथवा कर्मचारियें ने सपेरों को सांप पकड़ने से रोकने अथवा उनकी बस्तियों में रखे गये सापों को जब्त करने की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है यह अत्यन्त दुख का विषय है कि मध्प्रदेश में वन विभाग अथवा पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सांपों की पकड़ने और उनकी पहचान सम्बन्धी कोई ज्ञान नहीं है, और न ही उन्हें इस संबंध में प्रशिक्षण अथवा शिक्षा दिये जाने बाबत कोई दिलचस्पी दिखाई गई है। सच कहें, तो वे सांपों से डरते हैं और किसी सपेरे को सांप सहित पकड लेने पर दूर से ही उस पर सांप को छोड़ने के लिये दबाव डालते हैं। सपेरे स्वीकार करते हैं कि पुलिस अथवा वन विभाग द्वारा पकडे जाने पर वे छोटी–मोटी रिश्वत देकर आसानी से बच निकलते हैं। हालांकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में ही पारित कर दिया गया था, परन्तु भारत भर में इसे अभी तक एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सका है। हमारे देश में कई समुदाय के लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवों के उपयोग पर आधारित है और अतः ऐसे मामलों में इस नियम को लागू करना अत्यन्त कठिन काम है। वन्य जीवों का प्रदर्शनकरने वाले समुदायों पर भारत के अलग–अलग राज्यों में कहीं कम, तो कहीं ज्यादा दबाव देखा गया है। यह दबाव वन विभाग अथवा पुलिस विभाग द्वारा कम और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकताओं द्वारा अधिक डाला जाता है। कानून के दायरे में आने वाले समुदायों में दरवेश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है जो भालूओं और बन्दरों आदि का प्रर्दशन करते थे सच कहा जाये तो सपेरों को अभी तक ऐसी कठोर कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा है मध्य भारत, उत्तर भारत आदि के कस्बाई इलाकों में सपेरों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। केवल कुछ बड़े शहरों में ही इन्हें प्रताडित किया गया है, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में सपेरे अभी भी अपना परम्परागत व्यवसाय जारी रखे हुऐ है। हालांकि सांपों का धार्मिक–पौराणिक रहस्य–रोमांच कम होने से सपेरों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है। दक्षिण भारत में पुणे और चेन्नई में स्नेक पार्क की स्थापना होने तथा सांप सम्बन्धी शोध कार्यो में बढ़ावा होने आदि वजहें के चलते आमजन सांपों के बारे में अधिक जागरूक है, और वहां सपेरों को कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता है, मध्यप्रदेश के सपेरे अभी तक ऐसी कार्यवाही से बचे हुए हैं।

स. क.	सरिसर्प प्रजाति का नाम	वैज्ञानिक नाम	IWPA स्थिति
1	सामान्य नाग	Nanja Nanja	अनु. 1 भाग 2
2	धामन सांप	Ptyas mucose	अनु. 2 भाग 2
3	दो मुहॅ सांप	Eryx johnii	अनु. 4
4	माटी का सांप	Gongylophis conica	अनु. 4
5	सामान्य कॉस्यपृष्ठवंशी सांप	Varanus bengalensis	अनु. 2
6	गोह	Varanus bengalensis	अनु. 1

निष्कर्ष–

सपेरा समुदाय पारंपरिक रूप से दो कामो से जुडा रहा हे।सांप दिखाना और पत्थर के औजार तथा खिलोने बनाना सपेरा समुदाय सांप दिखाने जैसा अपना पारंपरिक पेशा छोडने के पश्चात सपेरा समुदाय के लोगों की पारिवारिक स्थिति आज भी बडी दयनीय बनी हुई है , बैरोजगारी , गरीबी, अशिक्षा , भुखमरी आदि से जुझने के कारण सपेरा समुदाय के लोग अपनी दो गज की रोटी कमाने के लिए शहरों की और पलायन कर रहे है कुछ जगह तो सपेरा समुदाय की महिलाएं अपनी मजबुरी के कारण वैश्यावृत्ती में लिप्त हो गई है । तथा जो पुरूष वर्ग के लोग समाज की जो धाराएं उन्हैं लांघ कर अपराधिक कार्य जैसे चोरी ,डकेती, सांपों तथा सांप के जहर का अवेध व्यापार आदी कार्यें को कर कानून की तथा समाज की जो सीमाएं उन्हैं लांघने का प्रयास कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष है कि वन्य जीव संरक्षण कानूनों के आगमन के पश्चात् भी सपेरों का यह परम्परागत व्यवसाय फल–फूल रहा है। खासकर युवा सपेरा सदस्यों का रूझान इस ओर अधिक देखा गया है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रह रहे सपेरे अपने परम्परागत व्यवसाय की वजह से ग्रामीण जीवन में खुद को ढालकर अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने में सफल रहे हैं। जिले में जहाँ अधिकांश युवा बेरोजगार हैं पढ़े–लिखे हजारों लोगो को भी रोजगार पाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हैं। ऐसे माहौल में अपने परम्परागत व्यवसाय में संलग्न सपेरे रोजगार सेक्टर में अपना स्थान सुरक्षित बनाए हुए हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश में जहाँ भूलकर अनेकों प्रकार के दबाव पड़ रहे हैं। सपेरों का यहां सुरक्षित रोजगार अत्यधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है।

वर्तमान में वन्य जीव संरक्षण कानूनों तथा समुदायों की आजीविका के मध्य असंतुलन बना हुआ है। इस टकराव को असंतुलन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इस हेतु नीति–निर्धारकों के द्वारा अनुशंसाएं भी की गई है। यह सुझाया गया कि किस प्रकार सपेरा समुदाय को परम्परागत रूप से प्राप्त कौशल योग्यता का उपयोग आमजन को सांप संबंधी जानकारियाँ देने, उन्हें विषैले व विषहीन सांपों का भेद बताने, सर्पदंश के प्राथमिक उपचार की जानकारी देने आदि में किया जा सकता है। ये सपेरों की व्यक्तिगत पहचान है। कौशल बरकरार रखने के साथ–साथ आमजन द्वारा अज्ञानतावश सांपों की क्रूर हत्याओं को रोकेगा तथा सांपों के संरक्षण में सहायक होगा। वहीं सपेरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर प्रदेश में **'क्षेत्रीय विष एकत्रीकरण केन्द्र'** स्थापित किया जा सकता है जिसके माध्यम से सैकड़ों सपेरों की आजीविका मिल सकेगी। सपेरों को औषधीय पौधों व जड़ी–बुटियों का अच्छा ज्ञान है और परम्परागत रूप से सर्पदंश सहित विभिन्न रोगों का उपचार करते आ रहे हैं। सपेरों की उपरोक्त सभी योग्यताएं व गुण उनके समुदाय की पहचान को सही–सलामत रखने तथा सांपों की प्राकृतिक जनसंख्या का संरक्षण करने में सक्षम है।

सुझाव

- परम्परागत व्यवसाय में संलग्न सपेरों की आजीविका के लिए उनकी संख्या का अभिनिर्धारण करना।
- चयनित सपेरों को उचित वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सपेरों की सहकारी समिति, निर्माण व पंजीकरण करवाना।
- क्षेत्रीय विष एकत्रीकरण केन्द्र हेतु संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त करना।
- सपेरों के लिए स्वयं की रोजगार योजना (सेल्फ एम्पलायमेन्ट स्कीम) प्रारम्भ करना जिसके अंतर्गत इनके देशज ज्ञान की प्रतिष्ठ को बरकरार रखते हुए इनक आर्थिक दशा को सुधारा जा सके।
- **सपेरा केन्द्र** को अस्तित्व में लाकर उसके माध्यम से सपेरों के परम्परागत व्यवसाय को एक संगठित व वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नवीन प्रतिष्ठान का स्वरूप प्रदान करना।

सपेरों के स्वसहायता समूह गठित करना तथा उसके माध्यम से सपेरों को रोजगार के अन्य साधनों जैसे बांस का धंधा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अन्य पशुपालन, कंबल, प्लास्टिक के सामान की ब्रिक्री आदि के लिए आवश्यक आर्थिक मदद मुहैया कराना।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. ए.बी. बालसुब्रमणियम एवं वैद्य एम.राधिका, स्वास्थ्य की स्थानीय परम्पराएं, लोक स्वास्थ्य परम्परा संवर्द्धन समिति, लखनऊ, 1991
2. डॉ. नरेन्द्रनाथ मेहरोत्रा, डॉ. हरिप्रकाश शर्मा, उत्तर भारतीय औषधीय, पौधों की संदर्भ पुस्तिका संसाधन एवं संभावनाएं, जीवनीय सोसायटी, लखनऊ, 2005
3. रमेश बेदी, सांपों का संसार, किताब घर, नई दिल्ली, 1991
4. द्विवेदी हजारीप्रसाद, नाथ सम्प्रदाय, वाराणसी, 2003
5. पाण्डेय राजबली, हिन्दू धर्मकोश, 2001
6. इनसॉक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स 2088
7. मत्स्येन्द्रपादशतकम्,गीता प्रेस गोरखपुर,
8. ब्रिग्स, गोरखनाथ एण्ड गनफटा योगीज, दलित साहित्य अकादमी,उज्जैन
9. गोरखनाथ और उनका युग नई दुनिया, 2010
10. डॉ. अवन्तिकाप्रसाद मरमट, नाथ सम्प्रदाय और उसका समाज पर प्रभाव, 2004 पूर्वदेवा, त्रैमासिक शोध पत्रिका, मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी, उज्जैन
11. राबर्टसन (1998) ने राजस्थान के कालबेलियों का मानव विज्ञानीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया
12. इंगले (2001) द्वारा मध्यप्रदेश के मालवांचल के सपेरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति संबंधी शोध कार्य किया गया।
13. वालिया (2001) द्वारा दून वेली के बधिया समुदाय पर शोध किया गया।

14. दत्त (2004) ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के जोगीनाथ सपेरों का अध्ययन प्रस्तुत किया
15. वहीं सिंह और पाण्डे (2005) द्वारा भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून का अध्ययन प्रस्तुत किया,
16. अमित देशपाण्डे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और सपेरा समुदाय, पब्लिकेशन, 2005 भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान, भोपाल म.प्र.।